राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन आवेदन पत्र संख्या – 45, 46, 47 व 48/2009/नागौर.

1. मैसर्स गोयल लाईम इण्डस्ट्रीज, मेड़ता, नागौर। ....प्रार्थीगण.
2. मैसर्स क्वालिटी केमिकल एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स, नागौर।
3. मैसर्स स्टार केमिकल एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स, गोटन, नागौर।
4. मैसर्स क्वालिटी केमिकल एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स, नागौर।

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत नागौर. .....अप्रर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अरिन्जय जैन,
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.पी.ओझा,
डप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08.05.2014

निर्णय

1. उक्त चार परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रार्थी व्यवहारियों द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा **अपील संख्या 1762, 1763, 1764 व 1165/2007/नागौर**, में पारित निर्णय दिनांक **14.11.2008, 14.11.2008, 14.11.2008 व 04.02.2009** के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें प्रार्थी व्यवहारियों ने कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक **14.11.2008, 14.11.2008, 14.11.2008 व 04.02.2009** को परिशोधित करने हेतु प्रार्थना पत्र राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत् प्रस्तुत किये हैं।

2. चूंकि हस्तगत चारों प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु सादृश्य हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत चारों परिशोधन प्रार्थना पत्र निर्णय संयुक्तादेश के जरिये पारित किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

3. चारों प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा राज्य के बाहर से खरीदे गये कोयले को राज्य में परिवहनित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003–04 में राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे " प्रवेश कर अधिनियम' कहा गया है) की धारा 12(3) के तहत भाड़ा राशि पर एक प्रतिशत की दर से कर एवं उस पर देय ब्याज का अधिरोपण किया गया। तीनों अपीलों से सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	परि.प्रार्थना संख्या	क.नि.आ.दिनांक	भाड़ा राशि पर आरोपित कर	ब्याज
1	45/2009	19.12.2006	5,743/–	2,330/–
2	46/2009	19.12.2006	4,166/–	230/–
3	47/2009	19.12.2006	5,027/–	2,495/–
4	48/2009	25.01.2006	10,627/–	–

लगातार.....2

कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के समक्ष अपीलें प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की अपीलें स्वीकार करते हुए अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भाड़ा राशि पर अधिरोपित कर एवं ब्याज को अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होते हुए चार अपीलें विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिनकी सुनवायी कर, कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा चारों अपील प्रकरणों को गुणावगुण पर निर्णित कर, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार कर ली गयी । कर बोर्ड के उपर्युक्त वर्णित निर्णयों के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "विक्रय कर अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 37 सपठित अधिनियम की धारा 33 के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, पारित निर्णयों को परिशोधित करने की प्रार्थना की गयी है ।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

5. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर कथन किया कि माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । इस संबंध में तर्क दिया कि प्रकरण में **सुनवायी तिथि** की सूचना प्रार्थीगण को नहीं थी । अतः वह सुनवायी के दौरान उपस्थित नहीं हो पाये थे। इस संबंध में एकपक्षीय आदेश के संबंध में कथन किया कि राजस्थान विक्रय कर नियमों, 1995 के नियम 47 के तहत् सुनवायी का अवसर दिया जाना बाध्यकारी है जिसके अभाव में पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है ।

6. गुणावगुण पर कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स गोडफ्रे फिलिप्स इण्डिया व मैसर्स दिनेश पाऊचेज़ लि. के प्रकरणों में क्रमशः दिनांक **31.05.2000** को दिये गये निर्णयों को प्रोद्धरित कर कथन किया कि चूंकि मैसर्स दिनेश पाऊचेज के निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे "अधिनियम 1999" कहा जायेगा) को **"असंवैधानिक"** होना घोषित कर दिया है। अतः ऐसी स्थिति में, उक्त आधार पर, कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने के कारण प्रोद्धरित माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों के दृष्टिगत परिशोधनीय हैं ।

7. अप्रार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत "परिशोधन" आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि **इस संबंध में "गुणावगुण" पर एकपक्षीय निर्णय दिनांक 14.11.2008, 14.11.2008, 14.11.2008 व 04.02.2009 को पारित किये गये हैं जो**

लगातार.....3

संचेतन मस्तिष्क से पारित किये गये हैं तथा उक्त परिशोधन की परिधि में नहीं है न ही उक्त पुनर्विलोकन योग्य है । अतः इस संबंध में परिशोधन करना विधिसम्मत नहीं है जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 /2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 जो (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 को अवधारित कर, प्रस्तुत "परिशोधन" आवेदन पत्रों को खारिज करने की प्रार्थना की गयी । विशिष्ट रूप से कथन किया कि प्रवेश कर अधिनियम की धारा 28(2) के विशिष्ट प्रावधानों के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरणों में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्य व तर्क कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय में ले लिये गये हैं । अतः उक्त पारित आदेश संशोधनीय नहीं है ।

8. उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । विक्रय कर अधिनियम की धारा 37 व अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों का आद्योपांत गहन अध्ययन किया गया । प्रथमतः प्रार्थी व्यवहारीगण के विरूद्ध प्रकरण प्रवेश कर अधिनियम के तहत् पारित किये गये हैं जबकि परिशोधन प्रार्थना पत्र विक्रय कर अधिनियम की धारा 37 सपठित अधिनियम की धारा 33 के तहत् प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त दोनों अधिनियमों में संशोधन के प्रावधान प्रवेश कर अधिनियम के समान नहीं है। तदापित प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्रों में संशोधन का भाव विद्यमान होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को श्रवाणार्थ ग्रहण कर, विचारार्थ लिया जाता है

9. यह सही है कि अभिलेख की प्रकट भूल में कोई ऐसा आदेश आयेगा, जो उस समय विधिमान्य था जब वह पारित किया गया था जिसे भूतलक्षी प्रभाव से विधि के किसी संशोधन द्वारा या उच्चतम न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय या राजस्थान कर बोर्ड के किसी निर्णय द्वारा अविधिमान्य कर दिया जाये तो पारित आदेश संशोधनीय होगा परन्तु हस्तगत प्रकरणों में इस प्रकार की कोई परिस्थिति मौजूद नहीं है क्योंकि इस संबंध में **कोई अभिलेख की प्रकट भूल नहीं हुयी है,** न ही उक्त निर्णय को पारित करते समय विधि के किन्हीं प्रावधानों पर विचार करना रह गया है। इस संबंध में विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व विधिक रूप से सुनवायी हेतु नोटिसेज जारी किये गये जो रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलबध हैं, यही नहीं अनुपस्थिति की दशा में, कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा हस्तगत प्रकरणों के गुणावगुण पर विचार कर, निर्णय पारित किये गये हैं। अतः इस संबंध में प्रार्थी व्यवहारीगण के विरूद्ध पारित आदेश संचेतन मस्तिष्क व खुली आंखों से पारित निर्णय हैं जिनका पुनर्विलोकन (review) करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । अतः विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत **स.वा.क.अ. बनाम् मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 /2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 जो (2011)29 टैक्स अपडेट 253 में** प्रतिपादित विधि को हस्तगत प्रकरणों में लागू

लगातार.....4

किया जाना न्यायसम्मत है। उक्त निर्णय में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों पर गहन विचार कर, यह व्यवस्था दी है कि संशोधन की परिधि **(Scope)** में प्रकरण का पुनर्विलोकन नहीं आता। अतः कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा संचेतन मस्तिष्क व खुली आंखों से विधि के प्रावधानानुसार पारित किये गये हैं, को परिशोधित करना विधिअनुकूल नहीं है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यात्मक एवम् विधिक स्थिति के प्रकाश में, परिशोधन आवेदन पत्र विधिसम्मत एवम् न्यायोचित नहीं है ।

10. द्वितीयतः जहां तक प्रवेश कर अधिनियम की संवैधानिकता का प्रश्न है, मैसर्स गोडफ्रे फिलिप्स इण्डिया व मैसर्स दिनेश पाऊचेज़ लि. के प्रकरणों में क्रमशः दिनांक **31.05.2000** को दिये गये निर्णयों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे "अधिनियम 1999" कहा जायेगा) को **"असंवैधानिक"** होना घोषित कर दिया था को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचारार्थ स्वीकार कर लिया है एवम् आदिनांक तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ऊपर वर्णित प्रकरणों में दिये गये निर्णय स्थगित है। चूंकि प्रार्थी व्यवहारीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त परिशोधन प्रार्थना पत्र उक्त तथ्यो पर ही अवलम्बित है कि जब प्रवेश कर अधिनियम असंवैधानिक हो चुका है तो माननीय कर बोर्ड का उक्त पारित आदेश स्वतः ही विधिशून्य हो गया है । परन्तु व्यवहारी प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उक्त तथ्य का हवाला नहीं दिया है जिसमें उपर्युक्त प्रोद्धरित माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स रामगोपाल सत्यनारायण बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य **डी.बी.सी.डब्लू.पी क्रमांक 13765/2010 निर्णय दिनांक 01.12.2010 के साथ 265 याचिकाओं करते समय निम्न प्रकार निष्कर्ष अवधारित किये हैं—**

> ***"....The matter is pending before the Hon'ble Supreme Court against the judgment dated 21-08-2007 in M/s Dinesh Pouches's case to be heard by a bench of seven Judges. The Hon'ble Supreme Court has already directed that the High Court shall not hear the matter till sthe matter is heard by the Hon'ble Supreme Court. The interim order which has been passed by the Hon'ble Supreme Court in M/s Dinesh Pouches's case in the S.L.P. against the judgment dated 21-08-2007 is as follows: "There shall be an interim stay of the direction of the High Court so far as it relates to refund." In view of above it is clear that the direction so far as the refund of the***

लगातार.....5

amount of tax which has been deposited with the State by the assessee which had been ordered by the High Court while declaring the Act to be Ultra vires, that has been stayed by the Hon'ble Suprem Court."

11. उपर्युक्त विवेचनानुसार विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित प्रकरण माननीय सर्वोचच न्यायालय द्वारा स्थगित है अर्थात् वर्तमान स्थिति में प्रवेश कर अधिनियम की वैधता माननीय शीर्ष न्यायालय के सात न्यायाधीशों के समक्ष विचाराधीन है एवम् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के इस संबंध में दिये गये निर्णय स्थगित है ।

12. अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत चारों संशोधन प्रार्थना पत्र अपरिपक्व होने तथा गुणावगुण पर भी औचित्यहीन होने से निरस्त किये जाते हैं।

13. परिणामतः, प्रार्थी व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाते हैं।

है।

निर्णय सुनाया गया।

8.5.2014
(मदन लाल)
सदस्य